राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3014/2025

सोरभ यादव

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर सह अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक), पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, जयपुर।
3. सहायक औषधि नियंत्रक, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.06.2025
आदेश की दिनांक : 09.06.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मेंद्र फगेड़िया, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को अनुकंपा के आधार पर दिनांक 11.1.2016 के आदेश द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर उसके पिता स्वर्गीय श्री सुमेर सिंह यादव (नर्स ग्रेड–II) के स्थान पर प्रारम्भ में नियुक्त किया गया था तथा सहायक औषधि नियंत्रक कार्यालय, सेठी कॉलोनी, जयपुर में पदस्थापित किया गया था, तब से वह निरन्तर पूर्ण संतुष्टि एवं समर्पण के साथ अपनी सेवाएं दे रहा है तथा उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। (अनुलग्नक–1) प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांक 15.1.2025 के आलौच्य आदेश (अनुलग्नक–2) के तहत अपीलार्थी को सहायक औषधि नियंत्रक कार्यालय, सेठी कॉलोनी, जयपुर से जिला अस्पताल बाड़ी में स्थानांतरित किया और दिनांक 15.1.2025 के स्थानांतरण आदेश के अनुपालन में अपीलार्थी ने 3.2.2025 को जिला अस्पताल बाड़ी में कार्यग्रहण कर लिया। जिला अस्पताल बाड़ी में जूनियर असिस्टेंट के 2 स्वीकृत पद हैं और 2 जूनियर असिस्टेंट पहले से ही काम कर रहे हैं और इसलिए प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर जनरल अस्पताल बाड़ी ने पत्र दिनांक 6.2.2025 के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 2 को सूचना भेजी। (अनुलग्नक–4) सूचना प्राप्त होने के बाद, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांक 31.5.2025 के आदेश (अनुलग्नक–1) के तहत अपीलार्थी को जिला अस्पताल अलवर में दूरस्थ स्थान पर स्थानांतरित/पदस्थापित कर दिया, जबकि सहायक

औषधि नियंत्रक, जयपुर के कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के कई पद अभी भी रिक्त पड़े हैं। अपीलार्थी की मां एक वृद्ध विधवा महिला है, अपीलार्थी की एक बेटी भी है, जिनकी देखभाल करने के लिए अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं हैं। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को 150 किमी दूर एक दूरस्थ स्थान पर स्थानांतरित कर दिया है। अपीलार्थी ने अभी तक अपने स्थानांतरित स्थान यानी जिला अस्पताल अलवर में ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को 4 महीने की छोटी अवधि में लगातार 3 बार स्थानांतरित किया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 31.5.2025 (अनुलग्नक–1) एवं 15.1.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को पुनः सहायक औषधि नियंत्रक कार्यालय, सेठी कॉलोनी, जयपुर में पदस्थापित किए जाने के निर्देश दिए जावे, जहां कनिष्ठ सहायक का पद अभी भी रिक्त है तथा उसे नियमित वेतन एवं अन्य लाभ दीए जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आदेश से आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य